भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3528
बुधवार, 2 अप्रैल, 2025 (12 चैत्र, 1947 (शक)) को उत्तरार्थ

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना

3528 # श्री बृज लालः
श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवारः
श्री मदन राठौड़ः
श्री नरहरी अमीनः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम क्या हैं;
(ख) 'विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' की पायलट परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा क्या है;
(ग) परियोजना किस प्रकार खेतों से भंडारण सुविधाओं तक अनाज के परिवहन और वितरण की चुनौतियों का समाधान कर रही है;
(घ) मंत्रालय द्वारा राज्य-वार, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में गठित की जा रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की संख्या और ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या मंत्रालय ने पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): देश में विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का अनुमोदन किया है जिसे एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है । इसमें कृषि अवसंरचना निधि (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) योजना, कृषि यांत्रिकीकरण उपमिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), आदि जैसी भारत सरकार की मौजूदा विभिन्न योजनाओं के अभिसरण द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (PACS) के स्तर पर विकेन्द्रीकृत गोदामों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयां, छंटाई और ग्रेडिंग सुविधाएं, शीतागार इकाइयां, पैकहाउस, आदि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचना का निर्माण करना शामिल है ।

यह योजना PACS के स्तर पर अन्न के स्थानीय भंडारण को सक्षम करके परिवहन और वितरण चुनौतियों का समाधान करती है जिससे लंबी दूरी की परिवहन लागतों और नुकसानों में कमी आती है । इसके अतिरिक्त, PACS को कृषि-विपणन और प्रापण प्रणालियों के साथ एकीकृत करके किसानों के लिए भंडारण सुविधाओं तक सीधी पहुँच सुनिश्चित की जाती है जिससे मध्यस्थों पर उनकी निर्भरता कम होती है । अत:, इस योजना का लक्ष्य किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना, परिवहन लागतों को घटाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है ।

योजना की पायलट परियोजना के अंतर्गत देश भर के 11 PACS में 11 गोदामों का निर्माण किया गया है तथा कुल 9,750 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है ।

(घ): सरकार ने दिनांक 15.02.2023 को देश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने तथा सबसे निचले स्तर तक इसकी पहुँच बनाने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है । इस योजना में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) और राज्य सरकारों के सहयोग से डेयरी अवसंरचना विकास निधि (DIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), इत्यादि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से पांच वर्षों में देश के सभी पंचायतों/गांवों को आच्छादित करने के लिए 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियाँ (M-PACS), डेयरी, मात्स्यिकी सहकारी समितियाँ स्थापित करना है ।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, दिनांक 15.02.2023 को योजना के अनुमोदन के पश्चात् दिनांक 27.01.2025 तक महाराष्ट्र राज्य में 148 नए PACS सहित देश भर में कुल 3,667 नए PACS पंजीकृत किए गए हैं। इनका राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दर्शाया गया है ।

(ङ.) और (च): भारत सरकार ने 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना शामिल है, जो उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ता है । परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्तर का कॉमन सॉफ्टवेयर नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया है और दिनांक 27.01.2025 तक ईआरपी सॉफ्टवेयर पर 50,455 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया है । अब तक, 30 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्र से 67,930 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके लिए दिनांक 27.01.2025 तक संबंधित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्र को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 741.34 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 60,382 पैक्स को हार्डवेयर वितरित किया गया है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 15.02.2023 को योजना के अनुमोदन के बाद से दिनांक 27.01.2025 की स्थिति के अनुसार नवपंजीकृत PACS का राज्य-वार ब्योरा (राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार):

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**नवपंजीकृत PACS की संख्या**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	12
4.	असम	59
5.	बिहार	25
6.	छत्तीसगढ़	0
7.	गोवा	12
8.	गुजरात	291
9.	हरियाणा	2
10.	हिमाचल प्रदेश	57
11.	जम्मू और कश्मीर	84
12.	झारखंड	44
13.	कर्नाटक	128
14.	लद्दाख	0
15.	लक्षद्वीप	0
16.	मध्य प्रदेश	16
17.	**महाराष्ट्र**	**148**
18.	मणिपुर	68
19.	मेघालय	193
20.	मिजोरम	25
21.	नागालैंड	12
22.	ओडिशा	1,535
23.	पुड्डुचेरी	2
24.	पंजाब	0
25.	राजस्थान	760
26.	सिक्किम	23
27.	तमिलनाडु	21
28.	तेलंगाना	0
29.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4
30.	त्रिपुरा	38
31.	उत्तर प्रदेश	94
32.	उत्तराखंड	0
33.	पश्चिम बंगाल	13
	कुल	**3,667**

*****